# कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गाजीपुर

## सरकारी नीलामी सूचना

वाहय न्यायालय मोहम्दाबाद स्थित अनुपयोगी/जर्जर न्यायालय भवन का मूल्यांकन रु० राशि रु० 55,222/- (पचपन हजार दो सौ बाईस रु०) प्रांतीय खण्ड लोक निर्णाण विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है। इस भवन को चरणबद्ध तरीके से ध्वस्त करने तथा मलवा हटाने हेतु सार्वजनिक नीलामी दिनांक 31/10/2020 को वाहय न्यायालय मोहम्दाबाद में अपरान्ह 04.30 बजे उपसमिति आधारभूत संरचना जनपद, न्यायालय गाजीपुर के उपस्थिति में करायी जायेगी।

नीलामी हेतु इच्छुक व्यक्ति/ फर्म नीलामी किये जाने वाले भवन का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से 05.00 बजे सायं तक कार्यस्थल पर आकर कर सकते हैं।

नीलामी की नियम एवं शर्ते निम्नवत हैं:-

1. प्रत्येक बोली दाता को अपना फोटो युक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. नीलामी की बोली बोलने से पूर्व उपरोक्त भवन की भली भांती पहचान व निरिक्षण कर लें।
3. नीलामी में भाग लेने हेतु रु० 5600/- की धनराशि जमानत के रूप में जमा करना होगा।
4. नीलामी केवल भवन एवं उसमे लगी अचल वस्तुओ के लिए ही है। फर्नीचर, फिक्स्चर्स, चल संपत्ति आदि नीलामी में सम्मिलित नहीं है। भूमि पर पूर्ण अधिकार न्याय विभाग का होगा।
5. सभी बोली दाताओ को सभी नियम एवं शर्तो के पालन का घोषणा पत्र देना होगा।
6. यदि भवन को तोड़ते समय कोई पुरातत्व महत्व की अथवा खजाना / दुर्लभ वस्तुए प्राप्त होती है तो इसकी सूचना तत्काल विभाग एवं पुलिस प्रशासन को देना होगा तथा ऐसी समस्त सम्पत्तियों पर अधिकार न्याय विभाग /सरकार का होगा।
7. भवन के तोड़ने का कार्य प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक अथवा अधोहस्ताक्षरी की लिखित अनुमति से अन्य समय में भी किया जा सकेगा।
8. भवन तोड़ते समय कोई श्रमिक, कर्मचारी एवं अन्य व्यक्तियों की दुर्घटना होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी बोलीदाता / फर्म / व्यक्ति की होगी।
9. भवन को तोड़ते समय सम्पूर्ण न्यायालय परिसर को प्रदूषण मुक्त रखने हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा।
10. सम्बंधित बोलीदाता / फर्म/ व्यक्ति द्वारा ध्वस्त किये गए भवन के मलवे को समिति द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर परिसर से हटाना होगा।
11. किसी भी उच्चतम नीलामी बोली को सरसरी तौर पर बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पास सुरक्षित है।
12. उच्चतम नीलामी बोली को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के शर्तो/अनुमोदन उपरान्त ही अमल में लायी जायेगी।
13. नीलामी बोली माननीय उच्च नयायालय, इलाहाबाद द्वारा अनुमोदित किये जाने के उपरान्त सम्पूर्ण धनराशि एक मुश्त जमा करना होगा।
14. अपूर्ण एवं गलत अभिलेख प्रस्तुत करने पर सम्पूर्ण नीलामी की कार्यवाही रद्द की जा सकती है।

15.10.2020

दिनांक -15/10/2020

(मो० रिजवानुल हक)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या -1/
अध्यक्ष, उपसमिति आधारभूत संरचना
जनपद न्यायालय, गाजीपुर

Scanned with CamScanner